Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में ए.एन.एम. 40 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जुलाई, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमती संगीता राठौर ए.एन.एम. ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालवाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा पिछले पाँच माह में किये गये कार्यों की उपस्थिति पर हस्ताक्षर करने, रिकार्ड सही करने, टीकाकरण कार्य के क्लेम हेतु ऑनलाईन चढ़ाने एवं मानदेय राशि का भुगतान करने की एवज में श्रीमती संगीता राठौर ए.एन.एम. ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ द्वारा **60 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा** के सुपरवीजन में एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय **पुलिस निरीक्षक श्री रमेश आर्य** एवं टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती संगीता राठौर पत्नी श्री संजय राठौर निवासी कुण्डला रोड़, ईदगाह के सामने, चौमहला, झालवाड़ हाल ए.एन. एम. ग्राम पंचायत रावनगुराड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।